

न्यायालय जे. एम. ठाकुरद्वारा, (मुरादाबाद)

सरकार बनाम शंकर ।

वाद. सं.—1381 / 19

धारा— एम.वी.एक्ट

थाना— डिलारी ।

21.08.2019

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त की ओर से जुर्म इकबाल हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया, जिस पर निम्न आदेश पारित किया गया ।

अभियुक्त जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसको 3700 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न देने पर 15 दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

न्यायिक मजिस्ट्रेट

ठाकुरद्वारा ।